

Kalawati Ayurvedic Medical College and Research Center & Hospital

IPD PATIENT 1 Jan TO 31 Jan 2021

DEPARTMENT

JAN

KAYACHIKITSA

0

PANCHKARMA

0

SHALYA

0

SHALAKYA

0

PRASUTI & STRI ROGA

0

KAUMARBHRITTYA

0

MONTH TOTAL

0

By the order of District Magistrate Kasganj, vide letter no.26/S.T.-D.M.-2020 dated 26/3/20 , Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital , Gorha , Kasganj was acquired and become Quarantine centre COVID-19 Level -1, So no OPD,IPD was done during the period from 27/3/20 to 07/02/21

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

पत्रांक: 26 / एस0टी0-डी0एम0-2020

दिनांक:- 26 मार्च, 2020

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 एवं शासनादेश संख्या- 195 / एक-11-200-रा0-11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 सपठित उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी)के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।

अतः उक्तानुसार कोरोना कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद में राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज की सम्भावित आवश्यकता के दृष्टिगत कोविड-19 के संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार/इंस्टीट्यूशनल क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत करते हुए कोविड-19 एल-1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।


उक्त कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा जनपद कासगंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार एवं बचाव तथा क्वारेन्टाइन हेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन किए जाने वाले मरीजों हेतु मेडिकल कालेज भवन में मूल-भूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराएँगे तथा मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की ड्यूटी कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा कासगंज पर आवश्यकतानुसार लगाना सुनिश्चित करेंगे तथा भर्ती मरीजों के उपचार एवं देखभाल का दायित्व मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए0के0श्रीवास्तव)
अपर जिला मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

प्रतिलिपि:-

1. जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. पुलिस अधीक्षक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य चिकित्साधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ।
4. निदेशक/प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, गोरहा, जनपद- कासगंज को अनुपालनार्थ।
5. समस्त सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अपर जिला मजिस्ट्रेट,
कासगंज।

कार्यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज

पत्रांक : मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21/१५०

दिनांक : 05.02.2021

प्रधानाचार्य

कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल
गौरहा, जनपद कासगंज।

विषय : कलावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल को कोविड-19 के अन्तर्गत
एक्टिव कोरेन्टाइन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कासगंज द्वारा दिनांक
03.02.2021 को आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कलावती
आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पिटल को एक्टिव कोरेन्टाइन से मुक्त किया
जाता है। भविष्य में यदि कोविड-19 के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार पांच दिवस पूर्व सूचना देकर
आपके उक्त मेडीकल कालेज को अधिकृत किया जा सकता है।



मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कासगंज

पत्रांक : मु0चि0अ0/कोविड-19/2020-21

तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, लखनऊ।
2. जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़।
4. मुख्य विकास अधिकारी, जनपद कासगंज।
5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई जनपद कासगंज।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कासगंज